न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : दाताराम आर.ए.एस.

अपील सं. 31/2018 (223 आरटीए) शांतिलाल बनाम गेरो

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00075)

1 शांतिलाल पुत्र टीकूराम,
2 मेघराज पुत्र टीकूराम
जाति पालीवाल निवासी छीला, तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

..... अपीलांट्स

बनाम

1 गेरो पत्नी नेनूराम फोत,
2 अणची पत्नी बींजाराम फोत के कायम मुकाम
2/1 ओमाराम पुत्र बींजाराम,
2/2 रेवतराम पुत्र बींजाराम,
2/3 मालाराम पुत्र बींजाराम
जाति मेघवाल निवासी छीला तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
3 लालूराम पुत्र टीकूराम,
4 मूलचंद पुत्र टीकूराम
जाति पालीवाल निवासी छीलाल तहसील फलोदी।

..... रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी दिनांक 16.02.2018 अंतर्गत राजस्व वाद सं. 105/2002

उपस्थित :

1 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार।
2 रेस्पो. सं. 2/1 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई।
3 रेस्पो. सं. 2/2, 3, 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 14.08.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के राजस्व वाद सं. 105/2002 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी के समक्ष धारा 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत अपीलांट्स की ओर से राजस्व वाद सं. 105/2002 पेश किया कि अपीलांट/वादीगण व रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण संख्या 3 से 4 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नं. 244 रकबा 128 बीघा 10 बिस्वा व खसरा संख्या 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा सरहद मौजा छीला तहसील फलोदी में स्थित है। जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 3 से 4 का कब्जा काश्त पीढ़ियों से बराबर चला आ रहा है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के उक्त खेत खसरा नं. 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इसी नियत से दिनांक 15.07.1985 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एकराय होकर वादीगण के उक्त खेत में जबरदस्ती कब्जा करने की नियत से आए और धमकी दी कि तुम्हें कास्त नहीं करने देंगे। अतः स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु निवदेन किया। प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 की ओर से जवाब पेश हुआ कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादिनी सं. 1 के पति व प्रतिवादिनी संख्या 2 के ससुर नेनूराम व उसके पुत्र बींजाराम का कब्जा काश्त एवं रहवास पीढ़ियों से चला आ रहा है। वादग्रस्त कास्त भूमि पर टीकूराम पुत्र ईश्वरलाल ने रकबा 90 बीघा पर हमारा कब्जा दर्ज कास्त व रहवास होने के बावजूद अपने नाम हमारे गरीब व अशिक्षित होने के कारण करवा ली थी। राजस्थान काश्तकारी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) सरकारी नियम 1963 लागू होने पर नियम 9 के अंतर्गत दिनांक 29.12.70 को टीकूराम ने अपनी घोषणा में वादग्रस्त भूमि के रकबा 40 बीघा पर प्रतिवादिनी संख्या 1 के पुत्र व प्रतिवादिनी संख्या 2 के पति बिंजिया पुत्र नेनूराम मेघवाल साकिन छीलाल की खातेदारी मानकर इस भूमि को सीलिंग से बचाया, जबकि बींजिया व हम प्रतिवादीगण का उस वक्त 90 बीघा भूमि पर कब्जा कास्त रहवास था। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के सभी वाद पदों को अस्वीकार कर मजीद उजरात (काउंटर क्लेम) पेश किया कि ग्राम छीला की सरहद में स्थित खसरा नं. 286 की रकबा 90 बीघा भूमि पर हम प्रतिवादीगण का पीढ़ियों से रहवास, कब्जा कास्त चला आ रहा है संवत 2012 से भी इस पर हमारा निरंतर कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण के पिता टीकूराम पुत्र ईश्वरलाल ने अधिकतम क्षेत्र निर्धारण सरकारी नियम 1963 के नियम 9 के अंतर्गत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष दिनांक 29.12.1970 को पेश घोषणा में दिनांक 15.10.1955 को बींजिया पुत्र नेनूराम मेघवाल की रकबा 40 बीघा भूमि खातेदारी की होने की घोषणा की थी उस प्रपत्र 4 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रतिवादीगण ने जवाबदावा के साथ पेश की है यद्यपि उस वक्त भी हम प्रतिवादीगण का रकबा 90 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त व रहवास था। इस

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार खसरा नं. 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा की रकबा 90 बीघा भूमि पर हम प्रतिवादीगण के कब्जे कास्त में हैं, जिस पर हमें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए काउंटर क्लेम पेश करती है। काउंटर क्लेम में कब्जासुदा भूमि के अंकित आस–पड़ोस बताते हुए उस पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की भी मांग की गई। तत्पश्चात वाद में तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जावे कि प्रतिवादीगण ग्राम छीला स्थित खेत खसरा नं. 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा पर वादीगण के कब्जा कास्त में किसी तरह की दखलंदाजी न स्वयं करने और न किसी अन्य से करावे? ..... जिम्मेवादीगण।

तनकी सं. 2 आया प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ग्राम छीला की सरहद में स्थित खेत खसरा नं. 286 की रकाब 90 बीघा पर जवाब दावा के मजीद उजरात के पद संख्या 1 में बताए पड़ौस अनुसार वक्त लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम से काबिज व कास्त करती आ रही है और इसी में रहती आ रही है प्रतिवादीगण को इस कास्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए हैं जिसकी घोषणा करवाने की वे अधिकारिणी हैं? ... जिम्मे प्रतिवादीगण।

तनकी सं. 3 आया वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को खसरा सं. 286 के रकबा 90 बीघा से जबरन बेदखल करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण वादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारिणी है कि वादीगण स्वयं अथवा अन्य किसी अन्य के जरिए प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के कब्जा कास्त व रहवास रकबा 90 बीघा में किसी तरह का दखल नहीं करें? .... जिम्मे प्रतिवादीगण

4. दादरसी?

प्रकरण निर्णित होने के बाद उसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर में हुई जिस पर राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर न्यायालय के निर्णय दिनांक 29.01.2001 से प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रतिवादीगण विधि के किस प्रावधानों के अंतर्गत खातेदारी पाने के अधिकारी हैं इस बाबत स्पेसिफिक अतिरिक्त तनकी कायम की जावे तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे। जिसकी पालना में निम्न अतिरिक्त तनकी कायम की गई :–

अति. तनकी सं. 1 आया प्रतिवादीगण संख्या 2/1 से 2/3 खसरा सं. 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा ग्राम छीला में पूर्वी दिशा की 90 बीघा भूमि पर पीढ़ियों से भू–प्रबंध एवं लागू होने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पूर्व से निरंतर कब्जा काश्त में चले आने से उनको खातेदारी हकूक कानूनन प्राप्त हो चुके हैं? ... जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/3

अति. तनकी सं. 2 आया वादीगण के पिता ने राजस्थान काश्तकारी (भूमि का अधिकतम क्षेत्र निर्धारण) सरकारी नियम 1963 के नियम 9 के अंतर्गत अधिकतम सीमा संबंधी प्रपत्र 4 सब डिवीजनल आफिसर फलोदी के समक्ष दिनांक 29.12.2070 को पेश कर खसरा नं. 286 में से 40 बीघा अपने धारण में नहीं मानते हुए दिनांक 15.10.1955 को प्रतिवादिनी संख्या 2 के पति बिंजिया के कब्जा काश्त में मानते हुए बींजिया को कानूनन खातेदारी हकूक प्राप्त हो जाने के तथ्यों की स्वीकारोक्ति (एडमीशन) की घोषणा की? ... जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/3

अतिरिक्त तनकी सं. 3 आया वादीगण अपने पिता की स्वीकारोक्ति (एडमीशन) से कानूनन विबंधित (एस्टोप्ड) हैं? ... जिम्मे प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/3

प्रकरण में साक्ष्य व बहस होने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुए वादीगण का वाद खारिज कर दिया एवं प्रतिवादीगण संख्या 2/1 व 2/3 का काउंटर क्लेम स्वीकार कर लिया। अतः अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2018 से व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3 उक्त अपील दर्ज की जाकर रेस्पों. को जरिए सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया गया। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4 अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार ने अपील मीमो में वर्णित कथन को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि वादी का वाद महज क्यासी दलीलों पर खारिज कर काउंटर क्लेम डिक्री करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है। मातहत अदालत ने तनकी संख्या 1 को महज वाद में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा संबंधी आदेश को आधार मानकर निर्णित कर दिया। तनकी संख्या 2 को केवल मौका कमिश्नर की रिपोर्ट एवं सीलिंग प्रकरण में प्रस्तुत प्रपत्र 4 को आधार मानकर प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित कर दिया। तथा तनकी 1 व 2 के आधार पर तनकी नं. 3 भी प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय ने अतिरिक्त तनकी भी गलत बनाई हैं। अदालत मातहत के समक्ष केवल एक मात्र बिंदु यह था कि प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई टेनेंसी अधिकार अर्जित हुए हैं अथवा नहीं इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि उन्हें कोई टेनेंसी अधिकार अर्जित हुए ही नहीं इस कारण किसी भी सूरत में काउंटर क्लेम डिक्री नहीं

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया जा सकता। एडवर्स पजेशन के आधार पर भी कोई खातेदारी नहीं दी जा सकती। न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जोधपुर द्वारा पूर्व में इसी मामले में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2001 में यह स्पष्ट लिखा था कि भूमि का रकबा 40 बीघा के बजाय 90 बीघा किस आधार पर प्रतिवादीगण 2/1 से 2/3 को खातेदार घोषित किया गया। मामले को रिमाण्ड करने के बाद भी पूर्व पारित निर्णय को ही उसी रूप में पुनः लिखते हुए फैसला कर दिया। उपरोक्त कारणों से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त कर वादी का वाद डिक्री किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2/1 से 2/3 का काउंटर क्लेम खारिज करने का निवेदन किया।

5 रेस्पो. सं. 2/1 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई ने बहस में कथन किया कि खसरा नं. 286 रकबा 251 बीघा 7 बिस्वा अपीलांट टीकूराम के पिता के नाम था जिस पर रेस्पो. बिंजाराम का 90 बीघा पर 15.10.55 से पूर्व से पजेशन चला आ रहा है। वादी के पिता जागीरदार थे। पजेशन प्रतिवादीगण के पूर्वज बिंजाराम का था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने स्थाई निषेधाज्ञा का दावा किया लेकिन वादग्रस्त भूमि पर सैटलमेंट से पूर्व से ही कब्जा होने एवं खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कारण प्रतिवादीगण ने 90 बीघा भूमि के लिए काउंटर क्लेम किया था। वादीगण ने काउंटर क्लेम का कोई खण्डन नहीं किया। तथा प्रकरण रिमाण्ड होने के बाद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा व जवाब तथा काउंटर क्लेम के अनुसार निर्देशों की पालना में अतिरिक्त तनकीयात बनाई। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण के पक्ष में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सीलिंग से बचने के लिए 40 बीघा भूमि तो स्वयं वादी मान ही रहा है तथा दिनांक 29.12.2070 को अपना कब्जा छोड़ना भी बता रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–3 के अनुसार काश्तकार के रूप में जागीरदार का नाम नहीं आ सकता जब 15.10.55 को बिंजाराम का कब्जा था तो 90 बीघा भूमि जागीरदार के बजाय काश्तकार बिंजाराम के नाम दर्ज होनी चाहिए थी उस पर जागीरदार का नाम नहीं रह सकता। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 40 बीघा के संबंध में तो दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए तथा 90 बीघा पर पजेशन के संबंध में मौका रिपोर्ट पेश की गई। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण ने काउंटर क्लमें को साबित किया जिसके आधार पर विधि के प्रावधानों के अनुसार विस्तृत एवं तनकीवाईज विवेचन करते हुए काउंटर क्लेम डिक्री किया गया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अतः अपील खारिज करने का निवेदन किया।

6 उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

14/8
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

7 वादीगण का वाद धारा 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत है। धारा 188 के दावे को डिक्री होने के लिए तीन आवश्यक शर्त होती हैं। पहली कि वादी खातेदार होना आवश्यक है तथा दूसरी वाद फाइल करने की दिनांक को वादी का वादग्रस्त भूमि कब्जे में हैं। तीसरी वादग्रस्त भूमि के वादी के अधिकार या उपभोग पर पर प्रतिवादी द्वारा अतिचार किया गया हो या अतिचार करने का भय हो।

इन तीन शर्तों के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा तनकीवाईज विवेचन का अवलोकन किया गया। तनकी सं. 1 के संबंध में वादी ने कोई साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की। पत्रावली पर पेश साक्ष्य व दस्तावेज से विवादित आराजी खसरा नं. 286 के 90 बीघा पर कब्जा काश्त नहीं पाया गया। जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर वाद ग्रस्त भूमि पर कब्जा काश्त अणची वगैरहा का पाया गया। अतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी इस तनकी को सिद्ध नहीं कर पाया है अतः इस तनकी के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं हैं। तनकी सं. 2 इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था। प्रतिवादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने के लिए अधिकतम क्षसोत्र संबंधी प्रपत्र 4 का रिटर्न दिनांक 29. 12.70 की नकल पेश की जिसमें खातेदार टीकूराम ने 40 बीघा भूमि बींजिया की खातेदारी की घोषित करना लिखा है तथा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट में भी खसरा सं. 286 के पूर्वी तरफ 90 बीघा भूमि पर कब्जा काश्त अणची वगैरहा का बताया एवं ढाणी टांके व सपरिवार रहवास बताया है। अतः इस तनकी के निर्णय में भी कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। तनकी नं. 3 का विवेचन भी उचित प्रतीत होता है क्योंकि इस तनकी का निर्णय तनकी संख्या 1 व 2 पर निर्भर है। अतिरिक्त तनकी संख्या 1 में प्रतिवादीगण के जिम्मे थी जिसे प्रतिवादीगण ने सिद्ध किया है अधीनस्थ न्यायालय का विस्तृत विवेचन तनकी में अंकित है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। अतिरिक्त तनकी सं. 2 भी प्रतिवादीगण के जिम्मे थी अधीनस्थ न्यायालय का विवेचन सही है किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हैं। अतिरिक्त तनकी सं. 3 का विवेचन भी सही है किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय के तनकीवार विवेचन का अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा नहीं हैं तथा उस भूमि का खातेदार भी सिद्ध नहीं होता है। अतः धारा 188 व 92ए का दावा अधीनस्थ न्यायालय ने सही खारिज किया है। इसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं।

8 दूसरी ओर प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/3 ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से उनके जिम्मे की तनकीयात को सिद्ध किया है। अपीलांट का कथन है कि अतिरिक्त तनकी रिमाण्ड प्रकरण के अनुसार नहीं बनाई हैं।

14/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

लेकिन अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तीन अतिरिक्त तनकीयात कायम की गई जो दावा व जवाबदावा व काउंटर क्लेम के अनुसार विधि अनुरूप पाई जाती हैं अतः अपीलांट का तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं। इस प्रकरण में प्रतिवादीगण के जिम्मे पांच तनकीयात कायम की गई हैं पूर्व की दो तनकी व रिमाण्ड के बाद तीन तनकी जिन्हे दस्तावेजी साक्ष्य, मौखिक साक्ष्य से अपने पक्ष में सिद्ध किया है व अधीनस्थ न्यायालय ने पांचों तनकीयात प्रतिवादीगण सं. 2/1 से 2/3 के पक्ष में निर्णित करते हुए खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का काउंटर क्लेम डिक्री किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। इस प्रकरण में काउंटर क्लेम का जवाबुल जवाब भी प्रस्तुत नहीं हुआ है। अतः रेस्पोडेंट के अधिवक्ता की बहस से यह न्यायालय पूर्णतया सहमत है कि जब काउंटर क्लेम का खण्डन नहीं किया है तो काउंटर क्लेम डिक्री होगा। हालांकि इस प्रकरण में तो प्रतिवादीगण ने दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से काउंटर क्लेम को सिद्ध भी किया है। अतः संपूर्ण विवेचन व परीक्षण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधिक दृष्टि से उचित पारित किए प्रमाणित होते हैं अतः यह न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

9 अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2018 यथावत रखे जाते हैं। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

14/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

10 निर्णय आज दिनांक 14.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/8/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

बइजलाज श्री दाताराम,आर.ए.एस

(ऑनलाइन प्रकरण सं. 2018/00075)

अपील संख्या 31/2018

अपीलांट		रेस्पोडेन्ट
1.शांतिलाल पुत्र टीकूराम 2.मेघराज पुत्र टीकूराम जाति पालीवाल निवासी छीला,तहसील फलोदी जिला जोधपुर।	बनाम	1.गेरो पत्नी नेनूराम फोत 2.अणची पत्नी बींजाराम फोत के कायम मुकाम 2/1ओमाराम पुत्र बींजाराम 2/2रेवतराम पुत्र बींजाराम 2/3मालाराम पुत्र बींजाराम जाति मेघवाल निवासी छीला,तहसील फलोदी जिला जोधपुर। 3.लालूराम पुत्र टीकूराम 4.मूलचंद पुत्र टीकूराम जाति पालीवाल निवासी छीला,तहसील फलोदी।

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवम् डिक्री सहायक कलेक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी,फलोदी दिनांक 16.02.2018 अन्तर्गत राजस्व वाद सं 105/2002

यह अपील बतारीख 14/8/2018 बहाजरी अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार एवं रेस्पोडेंट संख्या 2/1 व 2/3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई एवं रेस्पोडेंट 2/2,3,4 की ओर से बावजूद सूचना अनुपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी,फलोदी का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.02.2018 यथावत रखे जाते है ।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग .....00.....) रूपये .....00..... अदा करे खर्चा मुकदमा मातहत का .....00..... अदा करे

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 14/8/2018 को जारी हो किया गया।

14/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1.स्टाम्प अपील 2.स्टाम्प वकालतनाम 3.इजराय हुक्मनामा 4.वकील फीस बाबत् मीजान		1.स्टाम्प वकालतनामा 2.स्टाम्प अर्जी 3.इजराम हुक्मनामा 4.मेहनतामा मीजान	

14/8/18

(दाताराम)

राजस्व अपील प्राधिकारी,जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर